24.3.21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी सं० 1 उपस्थित।
वकील प्रतिवादी सं०-1 ने बहस में कथन किया कि
कि प्रकरण में यह स्वीकृत स्थिति है कि विवादगत
कृषि भूमि वादी को नाना से उनकी माता को
विरासत प्राप्त हुई थी। प्रकरण के पक्षकार हिन्दू है।
एवं किसी हिन्दू स्त्री को अपने पिता से प्राप्त
सम्पत्ति [illegible] की हिन्दू विधि के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.04.20 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested

आत्यान्तिक सम्पत्ति है जिसकी वह हिन्दु स्त्री पूर्ण स्वामी है तथा अन्तरण/हस्तान्तरण करने की पूर्ण हकदार है। उक्त भूमि में वादी का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा ना ही वादाधीन सम्पति पैतृक या सहदायिक सम्पति है। वादी की माता ने उक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने तमाम हिस्सा की दस्तबरदारी मुख्य प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में करवा दी है। इसलिए वादी एवं इनकी माता का उक्त वर्णित सम्पति/ कृषि भूमि में कोई हक, अधिकार नहीं है। वादी का वाद विधिविरुद्ध है तथा वादी ने मिथ्या, निराधार, बेस एवं गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है। जो खारिज फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता विरोध दर्ज करने हेतु कथन किया कि नाना से माता को प्राप्त प्रश्नगत सम्पति में वादी का हित है, वादी का निराधार वेग नहीं है तथा पोषणीय है। प्रकरण में साक्ष्य लेकर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिए। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों एवं विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। मेरे विनम्र मतानुसार प्रश्नगत सम्पति वादी के नाना से उनकी माता को विरासत प्राप्त हुई है। हिन्दू विधि में 2005 के संशोधन के द्वारा महज पुत्री का पैतृक सम्पति में सहदायिक माना गया है। धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मुताबिक किसी हिन्दू स्त्री को अपने पिता से प्राप्त सम्पति उस हिन्दू स्त्री की हिन्दू विधि के तहत आत्यान्तिक सम्पति है जिसकी वह हिन्दू स्त्री पूर्ण स्वामी है। इसलिए वादी के नाना की सम्पति [illegible] वादी की माता को प्राप्त सम्पति [illegible] कोई हित व अधिकार नहीं है। ना [illegible] नाना की सम्पति में माता के सहदायिक [illegible] है। माननीय राज० न्यायालय ने 2008(2) RLW. 1390 (राज.) टैम्पल श्री ठाकुर मथुरानाथ जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kum
Date: 2021.04.20 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested

होटा भंडार बनाम श्री कन्हैया लाल व अन्य
यदि वाद न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग
हो तो न्यायालय असहाय नहीं है, न्यायालय
CPC की धारा 151 की शक्तियों का प्रयोग
करते हुए वाद खारिज कर सकता है। अन्य
एवं 2019 (3) सिविल कोर्ट केसेज 160 (राज.)
पुखराज सोनी बनाम लीला व अन्य न्यायिक
दृष्टांत में अभिनिर्धारित किया है कि - Plaint
can be rejected u/s 151 CPC even in absence
of available ground of O7 Rule 11 CPC as
frivolous litigation has to be nibbed in
the bud at the earliest possible stage
to safeguard the rights of adversary
in facing litigation and prolonging
his agony. उक्त विवेचनानुसार वादी का वाद
व्यर्थ, विधिविरुद्ध, निराधार, बेग है एवं न्यायिक
प्रक्रिया का दुरुपयोग है तथा इसी आधार पर
काबिल निरस्ती के है, जो [illegible] पर खारिज
किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 24/3/21
को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pavan Kumar
Date: 2021.04.20 15:39:16 IST
Reason: SelfAttested